ज्ञान तत्व 360
मंथन कमांक 47 मिलावट कितना अपराध कितना अनैतिक

दो प्रकार के काम अपराध होते है तथा अन्य सभी या तो नैतिक या अनैतिक। नैतिक को सामाजिक,अनैतिक को असामाजिक तथा अपराध को समाज विरोधी कार्य कहते है। इस परिभाषा के अनुसार दो ही प्रवृत्तियां अपराध की श्रेणी में आती हैं–1 जालसाजी, धोखाधडी, धुर्तता। 2 हिंसा और बलप्रयोग। इनमें भी जालसाजी, धोखाधडी के अन्तर्गत दो भाग किये जाते है–1 मिलावट, कमतौलना तथा 2 जालसाजी,धोखाधडी। दोनों ही प्रवृत्ति एक दूसरे के साथ जुडी रहती है किन्तु दोनों में भिन्नता भी होती है।

मिलावट भी कई प्रकार की होती हैं–1 उपभोक्ता वस्तुओं में मिलावट। 2 इतिहास में मिलावट। 3 धर्मग्रंथों में मिलावट। 4 असली वस्तु की जगह नकली वस्तु बनाकर असली के समान प्रस्तुत करना। यदि हम सुक्ष्म विवेचना करें तो आपसी व्यवहार में या बातचीत में भी बहुत कुछ मिलावट या नकलीपन छिपा रहता है। इसमें कभी कभी धुर्तता का भी समावेश हो जाता है किन्तु हम इसको छोड रहे हैं।

यदि हम मिलावटी सामान की चर्चा करें तो हमें मिलावट और मिश्रण को अलग अलग करना होगा। मिश्रण कोई अपराध नहीं होता,न ही कोई अनैतिक कार्य होता है। जबकि मिलावट अनैतिक तो होता ही है साथ साथ प्रायः अपराध भी होता है। दोनों में एक प्रमुख अंतर है कि यदि दूसरे को दी गई वस्तु खरीदने वाला वैसी ही समझ रहा है जैसी वह वस्तु दिख रही है तो वह मिलावट मिश्रण मानी जाती हैं मिलावट नहीं। दूध में पानी मिला हुआ है और खरीदने वाला समझ रहा है कि दूध शुद्ध नहीं है तो वह वस्तु मिलावटी नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि मिलावट तभी अपराध है जब बेचने वाला धोखा देने के उददेश्य से मिलावट किया हो। यदि बेचते समय वस्तु में की गई मिलावट लिख दी गई है या खरीदने वाले को बता दी गई है तब वह मिलावट अपराध तो है ही नहीं,अनैतिक भी नहीं है। यदि किसी वस्तु को शुद्ध बताकर बेचा गया और उस वस्तु में धोखा देने के उददेश्य से मिलावट की गई तभी वह मिलावट अपराध होती है। इसी तरह किसी स्थापित ब्रांड का सामान उस ब्रांड के नाम से बेचा जाये जो उस ब्रांड का नहीं है तब भी वह अपराध की श्रेणी में आता है। मिलावट की गई वस्तु यदि शरीर के लिए या पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है फिर भी धोखा देने के लिए मिलावट या नकल की गई है तो वह कार्य अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। वर्तमान समय में अनेक सरकारी कानून मिलावट और मिश्रण को साफ नहीं कर पाते जिसके कारण भ्रम बन जाता है।

धर्मग्रंथों में मिलावट भी बडी मात्रा मे होती रही है। बताया जाता है कि मनुस्मृति में भी काफी मिलावट हुई है। यहॉ तक कि किसी ने एक नकली यजुर्वेद भी बनाया था जो प्रचलित नहीं हो सका। कुछ वर्ष पूर्व एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखकर उसे उपनिषद का नाम देने का प्रयास किया। अन्य अनेक धर्मग्रंथों में भी मिलावट या नकली बनाये जाने की जानकारी मिलती रहती है। पुराणों में श्राद्ध के समय ब्राम्हण को मांस खिलाने का विवरण भी मेंने स्वयं पढा है। मैंने पुराणों में हजरत मुहम्मद और ईशु मसीह का भी जीवन विवरण पढा है।

इतिहास में तो इतनी मिलावट हुई है कि क्या असली है,क्या नकली यह बताना ही संभव नहीं है। यहॉ तक कि आर्य बाहर से आये ऐसी बाते भी इतिहास में तोड मरोड कर लिख दी गई है। पता ही नही चलता कि यदि भारत आदिवासियों का देश था तो दुनिया में भारत एक विकसित संस्कृति के रुप में कैसे स्थापित हुआ। एक पक्ष पंडित नेहरु को गयासुददीन का वंशज सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है तो एक दूसरा पक्ष राम और सीता को भाई बहन प्रमाणित करता रहता है। सब कुछ इतिहास में ही लिखा हुआ है वह दिन दूर नहीं जब इतिहास ही प्रमाणित कर देगा कि भारत विभाजन कराने में गांधी की प्रमुख भूमिका थी अथवा अकबर ने हिन्दुओं पर बहुत अत्याचार किये। साम्यवादियों ने इतिहास पर मनमाना अत्याचार किया और अब दूसरे पक्ष की बारी हैं। किन्तु यह आज का विषय नहीं है फिर भी इतना अवश्य है कि इतिहास में हमेशा ही मिलावट होती रही है। यह पता ही नहीं है कि ताजमहल किसका था। जब सत्ता पर एक पक्ष मजबूत था तब इतिहास ताजमहल को मुसलमानों का प्रमाणित करता रहा। तो अब दूसरा पक्ष सत्ता में आकर ताजमहल को ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर हिन्दुओं का मंदिर प्रमाणित कर देगा।क्या सत्य है यह कभी पता ही नहीं चल पायेगा। क्योंकि दोनों ही सत्य इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे।

यदि हम भारत की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें तो क्या असली है, क्या नकली, क्या शुद्ध है,क्या अशुद्ध यह बताना ही कठिन हो गया है। भोजन सामग्री तो शुद्ध है हीं नहीं । किन्तु मिलावट के नाम पर घातक जहरीले पदार्थ भी मिला दिये जाते है। मांस में आदमी या कुत्ते का मांस कई बार पकडा गया। नकली दवाईयों से कई लोग मरते हुये देखे गये । नकली इतिहास से वर्ग संघर्ष बढते हुये पाया जा रहा है। धर्म के नाम पर नये नये संगठन बनकर नया नया इतिहास रच रहे है। व्यापारी वर्ग मिलावट को अपनी प्रतिस्पर्धा की मजबूरी बता कर नैतिक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। राजनीति अपनी जालसाजी को कुटनीति का जामा पहनाकर मजबूरी सिद्ध कर रही है।

धार्मिक या ऐतिहासिक मिलावट गुलामी काल से ही शुरु हुई मानी जाती है किन्तु मुस्लिम या ईसाई धर्म प्रभावित सरकारें लुकछिप कर मामूली ही हेर फेर करती थी किन्तु जब से भारत में साम्यवाद का प्रभाव बढा तब से सुनियोजित षडयंत्र के अन्तरगर्त धार्मिक तथा ऐतिहासिक मिलावट या नकल का प्रयास हुआ। अब संघ परिवार भी साम्यवादियों की इस प्रणाली का पूरा पूरा उपयोग कर रहा है। धार्मिक या ऐतिहासिक मिलावट से तो हम व्यक्तिगत रुप से बच भी सकते है किन्तु खाद्य पदार्थ अथवा दवा जैसी वस्तुओं की मिलावट से हम कैसे बचें यह बडी चिंता का विषय है। नकली नोट चल रहे है, नकली स्टाम्प पेपर बिक रहे है, नकली डिग्रिया प्राप्त लोग डॉक्टर बन रहे है। समझ में नहीं आ रहा कि इस दुष्प्रभाव से हम कैसे बचें। समाज तो इस जालसाजी को रोकने में असमर्थ है ही किन्तु राज्य भी मिलावट को रोकने में बिल्कुल ही असफल है। मिलावट का बहुत घातक प्रभाव जन जीवन पर स्पष्ट दिख रहा है किन्तु राज्य की प्राथमिकताओं की सूची में मिलावट जालसाजी, धोखाधडी,या नकल का बहुत नीचे स्थान है।

मेरा यह मत है कि धोखा देने के उददेश्य से की गई मिलावट या नकल को गंभीरतापूर्वक रोके जाने की आवश्यकता है। इसके खतरनाक परिणामों के महत्व को भी समझा जाना चाहिये। इसके लिये किसी भी वस्तु के अधिकतम मूल्य की कोई सीमा नहीं होनी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो आज प्रचलित मूल्य से कम पर अपना सामान बेच सकता है किन्तु मूल्य नियंत्रण नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है कि राज्य को मिश्रण और मिलावट के बीच साफ साफ फर्क करना चाहिये। जब तक धोखा देने का उददेश्य स्पष्ट न हो जाये तब तक मिलावट को अपराध नहीं मानना चाहिये। किन्तु यदि मिलावट स्पष्ट है तो अधिक कठोर दण्ड की भी व्यवस्था होनी चाहिये। राज्य को इस मामले में और अधिक सकिय और सतर्क होना चाहिये।

मंथन कमांक 48

लिव इन रिलेशन शिप और विवाह प्रणाली

एक लडकी को प्रभावित करके कुछ मित्र उसका धर्म परिवर्तन कराते है तथा परिवार की सहमति के बिना किसी विदेशी मुस्लिम युवक से उसका विवाह करा देते है जो उसकी सहमति से होता है । वह लडकी विदेश जाने का प्रयास करती है तब मामला परिवार के लोग न्यायालय मे ले जाते है और सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध मे सीबी आई जांच शुरू कराता है कि क्या कोई आतंकवादी षणयंत्र तो नही है। यदि षणयंत्र नही है तो उक्त विवाह मान्य है । एक दूसरी 19 वर्ष की लडकी अपने प्रेमी के साथ विदेश जाने का प्रयास करती है और हवाई अडडे पर उसे माता पिता के आने की जानकारी होती है तो वह माता पिता से छिपने के लिये बुर्का पहन लेती हे और प्रेमी के साथ जाने का प्रयास करती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि बालिग होने के बाद व्यक्ति पर माता पिता और समाज का कोई अधिकार है या नहीं।

वर्तमान समय मे लिव इन रिलेशन शिप की भी नई प्रथा शुरू हो गई है। यह प्रथा पूरी तरह विवाह प्रणाली से भिन्न है। इससे कोई भी दो वयस्क स्त्री पुरुष कभी भी कितने भी समय तक बिना विवाह किये पति पत्नी की तरह रह सकते है। कोई कानून उन्हें रोक नही सकता । ऐसा लगता है कि विवाह के नाम पर बने अनेक कानूनी या सामाजिक बंधन इन प्रथा के सामने अनावश्यक हो जायेंगे। क्योंकि इसमे व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता प्राप्त है। न्यायालयो ने भी बिना सोचे समझे इन मामलो मे अपने निर्णय सुना दिये हैं।

विषय बहुत गंभीर है । मेरे विचार मे कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो के आधार पर विचार करना होगा।

1 सेक्स प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक भूख है। सेक्स सिर्फ इच्छा ही नही बल्कि आवश्यकता भी है। उसे बल पूर्वक नहीं रोका जा सकता।

2 सेक्स की असीम स्वतंत्रता नही दी जा सकती और समाज का कर्तब्य है कि वह विवाह पद्धति के माध्यम से सेक्स को व्यवस्थित और अनुशासित करे।

3 जबतक बलात्कार न हो तब तक राज्य को महिला पुरूष के बीच आपसी संबंधो के मामले मे किसी भी प्रकार का कोई कानून नही बनाना चाहिये।

4 परिवार के किसी भी सदस्य पर विशेषकर अवयस्क पर तेतीस प्रतिशत परिवार का तेतीस प्रतिशत समाज का तथा तेतीस प्रतिशत राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिये।

5 विवाह पद्धति एक ऐसी सामाजिक प्रथा है जिसमे वर वधु की स्वीकृति, परिवार की सहमति तथा समाज की अनुमति आवश्यक होती है। यदि इन तीनो मे से किसी एक का अभाव है तो वह आदर्श विवाह नही माना जा सकता।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर कहा जा सकता है कि विवाह प्रणाली की वर्तमान अव्यवस्था के लिये सभी पक्ष कुछ न कुछ दोषी हैं, किन्तु सत्ता पक्ष अकेला सबसे अधिक दोषी है। उसने हर मामले मे अपना पैर फंसा रखा है और किसी भी मामले मे निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका। सहमत सेक्स के मामले मे राज्य को कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिये। किन्तु वैश्या वृत्ति बार बालाओ तक के मामले मे राज्य हस्तक्षेप करता है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला और पुरूष के बीच जो गंभीर विवाद बढाये जा रहे है वे निरंतर हिंसा की तरफ बढ रहे हैं। बहुत बडा खतरा पैदा हो गया है कि लिव इन रिलेशन शिप मे वर्षो से एक साथ रह रही महिला कभी भी बलात्कार का आरोप लगा सकती है। कोई भी पुरूष किसी भी महिला को सेक्स का प्रस्ताव मात्र दे दे तो उसे किसी भी सीमा तक कटघरे मे खडा किया जा सकता है। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है किन्तु इसे भी अनावश्यक रूप से संवैधानिक व्यवस्था मान लिया गया। कोई स्त्री या पुरूष यदि एक साथ न रहना चाहे तो उसे कोई कानून एक मिनट भी एक साथ रहने के लिये बाध्य नही कर सकता । किन्तु भारत के कानून उन्हे इसके लिये मजबूर करते है। कोई दो लोग आपसी सहमति से प्रतिबंधित रिस्तो मे भी संबंध बनाते है तो कानून को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। किन्तु वर्तमान मे है। जब भी किसी बालक बालिका के भीतर कामइच्छा अनियंत्रित हो जाये तो उसे नाबालिक मानकर अपनी भूख मिटाने को बाध्य करना राज्य के लिये उचित नही। किन्तु राज्य परिवार और समाज के विरूद्ध जाकर विवाह की उम्र बढाता घटाता है जो राज्य का काम नही है। विचारणीय है कि सेक्स के मामले मे हो रही अधिकांश आपराधिक घटनाए राज्य की इन गलतियो का परिणाम मात्र है।

जब यह मान्य तथ्य है कि सेक्स सिर्फ इच्छाए ही नही बल्कि आवश्यकता भी है तो एक तरफ तो सामाजिक वातावरण के कारण इच्छाए बढ रही है तो दूसरी ओर आवश्यकता की पूर्ति घट रही है। विवाह की उम्र मनमाने तरीके से बढाई जा रही है जबकि आवश्यकताओ की उम्र घट रही है। प्राचीन समय मे विवाह की उम्र चौदह वर्ष थी तो अब उसे बारह होना चाहिये था किन्तु उसे बढाकर अठारह और इक्कीस कर दिया गया। उसमे भी व्यक्ति परिवार और समाज को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। विवाह समाज शास्त्र का विषय है किन्तु राजनीति शास्त्र ने इस विषय पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब यह होना चाहिये कि यदि बारह वर्ष से अधिक उम्र के लडके लडकी सेक्स की इच्छा को न रोक पा रहे हो तो परिवार और ग्राम सभा की स्वीकृति से सरकार इसे विशेष परिस्थिति मानकर स्वीकृति दे। यदि उम्र ही बारह कर दिया जाय तो अधिक अच्छा है।

वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था मे व्यक्ति को राष्ट्रीय संपत्ति के समान मान लिया गया है जबकि परिवार समाज और राज्य की मिश्रित व्यवस्था से व्यक्ति संचालित होना चाहिये। किसी लडकी को 18 वर्ष तक खिला पिलाकर पढा लिखाकर क्या परिवार और समाज यह उम्मीद न करे कि वह अपने विवाह मे इनसे सलाह ले। मै मानता हूॅ कि अंतिम निर्णय लडके और लडकी का ही होगा और उसे कोई अन्य एक साथ रहने से नही रोक सकता। किन्तु यह कैसे संभव है कि बालिग होते ही वह मनमाने निर्णय लेने लग जाये और परिवार की भूमिका शुन्य हो जाये । कोई लडकी किसी के साथ संबंध बना सकती है, किन्तु ऐसा संबंध विवाह नही माना जा सकता क्योकि उस संबंध को पारिवारिक और सामाजिक स्वीकृति नही है। राज्य द्वारा ऐसे संबंध का नाम विवाह कर देना विवाह शब्द का दुरूपयोग है। वास्तव मे इस संबंध को ही लिव इन रिलेशन शिप कहा जाना चाहिये। कोई लडकी स्वतंत्रता से अपना पति घोषित कर सकती है, किन्तु बिना परिवार की सहमति के उसके माता पिता, सास ससुर कैसे हो गये? उसका परिवार ससुराल कैसे बन गया? परिवार की संपत्ति मे

उसका स्वतंत्र हिस्सा कैसे हो गया? यदि इस तरह की प्रणाली लम्बे समय तक चली तो ऐसी संतानो को बचपन मे ही समाप्त कर देने की प्रथा को आप कैस रोक सकेंगे। प्रेम विवाह एक बुराई है। उसे बल पूर्वक नही रोका जा सकता किन्तु उसे प्रोत्साहित करने की जगह निरूत्साहित करना चाहिये । आज यह भी एक बडी समस्या बन गई है कि उसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेमिका पत्नी और लिव इन रिलेशन मे बहुत फर्क होता है। विवाह सेक्स, संतान प्रशिक्षण, परिवारिक सहजीवन की ट्रेनिंग तथा माता पिता के कर्ज से मुक्ति का मिला जुला स्वरूप है। प्रेमिका के साथ संबंध मे सेक्स तो है किन्तु अन्य तीन गायब हैं क्योकि वह कार्य पत्नी परिवार ओर समाज से छिपा कर होता है। लिव इन रिलेशन शिप मे संतानोत्पत्ति है किन्तु माता पिता से कर्जमुक्ति और सहजीवन की ट्रेनिंग नही है। ऐसी स्थिति मे विवाह ही एक मात्र आदर्श व्यवस्था है जिसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। किन्तु वर्तमान मे कुछ पश्चिम की ऐसी अन्धनकल शुरू हुई है कि सबसे ज्यादा विवाह प्रणाली के साथ ही छेडछाड हो रही है। आज तक यह समझ मे ही नही आया, न मेरी समझ मे आया न आप समझ पाये होंगे कि हमारी राज्य व्यवस्था महिला और पुरूष के बीच दूरी घटाने की पक्षधर है या बढाने की । क्या राज्य को यह निर्णय करने की स्वतंत्रता व्यक्ति परिवार ओर समाज पर छोडकर स्वयं को बाहर नही कर लेना चाहिये? मै तो समझता हूॅ कि राज्य ही इस समस्या को उलझाने मे सबसे अधिक सकिय है। प्राचीन समय मे समाज बहिष्कार के माध्यम से इस समस्या को अनुशासित करता था । जब भारत मुसलमानो का गुलाम हुआ तो मुस्लिम समाज मे महिलाओ को समान अधिकार प्राप्त नही था तथा व्यक्ति को भी धार्मिक सम्पत्ति माना जाता था परिणाम स्वरूप बिना किसी कानूनी प्रकृया के समाज को ही दंड देने का अधिकार मिल गया। स्वाभाविक है कि इसका आंशिक दुष्प्रभाव हिन्दुओ पर भी पडा। आज भी कही कही खाप पंचायत मे ऐसी गलत मानसिकता दिख जाती है। जब भारत अंग्रेजो का गुलाम हुआ तो उन्होने इसके ठीक विपरीत जाकर समाज का बहिष्कार करने का भी अधिकार छीन लिया । उसका प्रभाव हिन्दू व्यवस्था पर भी दिखा और आज तक सामाजिक हस्तक्षेप को अनावश्यक मानने की प्रथा बढती जा रही है। मेरे विचार से भारत को इस इस्लामिक या पश्चिम मान्यताओ की नकल से दूर होकर अपनी पुरानी व्यवस्था पर आ जाना चाहिये। फिर समाज किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यो के विरूद्ध उसका बहिस्कार कर सकता है, किन्तु सामाज किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यो के विरूद्ध बिना कानूनी प्रक्रिया के दंण्ड नही दे सकता । समाज की इस आदर्श व्यवस्था के स्थापित होने मे सबसे बडी बाधा राज्य का हस्तक्षेप है।

आप एक और कल्पना करिये कि यदि विवाह और लिव इन रिलेशन शिप से हटकर एक तीसरी व्यवस्था आ जाये जिसमे कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला से नौकरी का अनुबंध करा ले जिसमे उस महिला को पुरूष के घर के कार्यो के अतिरिक्त सेक्स की भी इच्छा पूरी करनी होगी। दोनो कभी भी अपने अनुबंध एक माह का नोटिस देकर तोड सकते है। प्रश्न उठता है कि इसे समाज या राज्य कैसे रोक सकेगा क्योकि आप विवाह प्रणाली को जटिल से जटिल बनाते जायेगे । पारिवारिक सहजीवन मे कानून चौका चुल्हा तक घुस जायेगा। महिला और पुरूष के बीच साधारण बात चीत भी भय और संदेह से प्रभावित हो जायेगी तथा सेक्स की प्राकृतिक भूख रोकी नही जा सकेगी तो उसके दुष्परिणाम होंगे ही चाहे बलात्कार के रूप मे हो अथवा हत्या के रूप मे। इसलिये समाज मे विवाह की प्रणाली विकसित किजिये जिसे अब निरूत्साहित या अव्यवस्थित किया जा रहा है।

अंत मे मै इस निष्कर्ष तक पहुंचा हूॅ कि यदि स्त्री पुरूष के व्यक्तिगत संबंधो तथा विवाह प्रणाली मे परिवार और समाज का किसी तरह का हस्तक्षेप समाप्त करके व्यक्ति और राज्य का सीधा हस्तक्षेप बढता गया तो बलात्कार और हत्याए बढेगी ही और राज्य की जेले या फांसी के फंदे ऐसी बढती घटनाओ को नही रोक पायेगे।

हमे चौतरफा प्रयास करने होंगे । समाज को बहिष्कार का अधिकार देना होगा । राज्य भी एक तरफ सामाजिक व्यवस्था मे अपना हस्तक्षेप घटा दे तो दूसरी तरफ अपराधियों को और अधिक कडे दंड दिये जाये। इसके साथ ही सामाजिक व्यवस्था को भी इस प्रकार करना होगा कि कोई भी बलात्कार मजबूरी न रहे । विवाह की उम्र घटानी होगी तथा परिवार और समाज को मजबूत करना होगा। इस तरह इस समस्या का समाधान आंशिक रूप से हो सकता है।

मै अपने प्रारंभिक जीवन से ही तीन बाते निरंतर लिखता रहा हूँ ।

1 असीम स्वतंत्रता व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है । कोई भी अन्य उसकी सीमा तब तक नही बना सकता जब तक उसने किसी अन्य की सीमा का उल्लंघन न किया हो।

2 प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित पहचान पत्र अवश्य होना चाहिये जो हर जगह प्रभावी हो तथा जिसकी नकल संभव न हो।

3 समानता व्यक्ति का मौलिक अधिकार नही हो सकता। समानता शब्द का व्यापक दुरूपयोग हो रहा है।

4 परिवार के पारिवारिक तथा समाज के सामाजिक मामलों मे कानून को कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिये। तीन तलाक या हलाला भी मुसलमानो का आंतरिक मामला है।

वर्तमान समय मे सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया। मै समझता हूँ कि यह निर्णय बिल्कुल ठीक दिशा मे ऐतिहासिक कदम है। स्वतंत्रता की दिशा मे संविधान को बढना ही चाहिये। स्वतंत्रता की दिशा मे बढने मे सबसे बडी बाधा समानता शब्द है। इस शब्द का हमेशा दुरूपयोग होता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान असीम स्वतंत्रता होनी चाहिये। स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति का मैलिक अधिकार है। किन्तु यदि राज्य या संविधान चाहे तो अपने नागरिको को समान अधिकार दे सकता है किन्तु मौलिक अधिकार मे शामिल नही कर सकता। व्यक्ति और नागरिक के बीच यह अंतर है।

प्रश्न है कि यदि न्यायालय ने आधार को मौलिक अधिकार के विपरीत माना तब मेरा क्या मत है । मै जितना स्वतंत्रता का पक्षधर हूँ उतना ही आधार का। यदि आधार को अवैध किया गया तो कानून उसका मार्ग निकाल सकता है। कल्पना करिये कि सरकार घोषित कर दे कि आधार वालो को ही राज्य कोई सुविधा देगा तब कोर्ट क्या करेगा क्योकि सुविधा प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार नही है, सिर्फ संवैधानिक अधिकार है।

तीन तलाक हलाला या चार विवाह को मै व्यक्तिगत स्वतंत्रता मानता हूँ किन्तु कोर्ट ने तीन तलाक पर जो फैसला दिया वह गलत होते हुए भी पूरी तरह समर्थन करता हूँ। यदि किसी अत्याचारी अन्यायी के साथ कोई दूसरा अन्याय भी करे तो हमे खुशी होती है। भले ही वह अन्याय है। मै अपने पूरे जीवन काल मे कभी किसी मुसलमान के व्यक्तिगत पारिवारिक या व्यापारिक मामले मे अन्याय नहीं होने देता। आप मेरा पूरा जीवन पता कर सकते है कि हमारे क्षेत्र के मुसलमानो का मुझ पर कितना विश्वास रहता है। दूसरी ओर यदि धार्मिक मामलों मे उनके साथ कोइ अन्याय होता है तो मुझे कभी कष्ट नही होता क्योकि उनकी धार्मिक कटटरता इसी लायक है। पूरे देश मे तीन तलाक, हलाला, बहु विववाह, मांसाहार, लाउडस्पीकर, लव जिहाद आदि के नाम पर न्याय अन्याय की परवाह किये बिना इनका मनोबल तोडना उचित प्रतीत होता हे। इसलिये मै तीन तलाक के मामले मे न्यायालय के निर्णय को भी ऐतिहासिक ही मान रहा हूँ।

मै महिला पुरूष के बीच किसी भेदभाव के विरूद्ध हूँ । सबको प्राकृतिक तथा संवैधानिक रूप से समान अधिकार प्राप्त है। कोइ भी पुरूष या महिला कभी भी किसी भी समय एक ही बार मे बोलकर तलाक दे सकती है। मुसलमानो ने उसे एक से बढाकर तीन किया तो क्या गलत है। कोई महिला यदि किसी के साथ न रहना चाहे तो दुनिया का कोई कानून उसकी स्वतंत्रता नही छीन सकता। वह कभी भी जा सकती है। यदि उसे परिवार छोडते समय न्यायोचित एग्रीमेंट अनुसार सुविधा न मिले तो वह उसके लिये कानून का सहारा ले सकती है। कानून उसके एग्रीमेंट के न्यायोचित होने की समीक्षा कर सकता है। मै पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि धीरे धीरे स्थितियों सुधर रही है। और आगामी कुछ ही वर्षो मे कलियुग सतयुग की दिशा मे कदम बढा सकता है।

शिया धर्मगुरु का महत्वपूर्ण बयान

शिया धर्मगुरु कल्बेसादिक एक राष्ट्रव्यापी पहचान रखने वाले मुस्लिम धर्मगुरु हैं। उन्होने एक बयान देकर कहा है कि यदि न्यायालय अयोध्या मंदिर के मामले में हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दें तो मुसलमानों को शांतिपूर्वक फैसला स्वीकार करना चाहिए और यदि फैसला मुसलमानों के पक्ष में आता है तब भाई चारे के रुप में वह स्थान हिन्दुओं के लिए छोड देना चाहिये। इससे हिन्दु मुसलमान का टकराव समाप्त होगा तथा इस्लाम की दुनिया में प्रतिष्ठा बढेगी।

स्पष्ट है कि इस बयान का सुन्नी मुसलमानों ने विरोध किया। यहॉ तक कि संघ के लोगों ने भी इस बयान को अच्छा नहीं समझा क्योंकि वह बयान हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण कराने के खिलाफ है। साम्प्रदायिक तत्व भारत में हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण कराना चाहते है और देश को गृहयुद्ध में ढकेल कर स्वयं राजनैतिक लाभ उठाना चाहते है। यहॉ तक कि विपक्ष के किसी नेता ने भी श्री सादिक के बयान की प्रशंसा नहीं की क्योंकि यह बयान विपक्ष के वोट बढाने वाला नहीं था। मेरे विचार से कल्बेसादिक का बयान बहुत ही प्रशंसनीय है और इस तरह के बयान साम्प्रदायिक तत्वों के बीच टकराव को कमजोर कर सकते है। इस तरह के बयान संघ के प्रचार को भी नुकसान पहुचा सकते है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार संघ परिवार का उददेश्य मंदिर बनाना नहीं है बल्कि उसका उददेश्य मुसलमानों का मनोबल तोडना मुख्य हैं। इसी तरह कटटरपंथी मुसलमानों का भी उददेश्य मस्जिद बनाना नहीं है बल्कि अपनी वरीयता सिद्ध करना है।

भारत में विपक्षी राजनीति का भविष्य

लोकतंत्र की आदर्श व्यवस्था तो लोक नियंत्रित तंत्र ही मानी जाती है जिसमें लोक मालिक और तंत्र प्रबंधक होता है। किन्तु भारत ने भी दुनिया के विकृत लोकतंत्र की नकल करते हुये पक्ष विपक्ष की राजनैतिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। 70 वर्षो से सत्ता पक्ष में ऐसे लोगों का वर्चस्व था जिसमें हिन्दुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता था तथा वामपंथियों का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के मुसलमान संगठित होकर जब चाहे जिसे चाहे सत्तारुढ करने की सामर्थ्य रखते थे और बहुसंख्यक हिन्दू कई भागों में बंटा हुआ था। 2014 के चुनाव में हिन्दू एकजुट हुआ और मुसलमान बंट गये। अब पक्ष विपक्ष के समीकरण पूरी तरह उलट गये हैं।

3 वर्षो से मुस्लिम साम्प्रदायिकता का मनोबल टुटा हुआ था किन्तु पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर फिर से मुस्लिम साम्प्रदायिकता की उम्मीदें कुछ बढा दी हैं। अभी साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का भविष्य क्या होगा क्योंकि मुस्लिम साम्प्रदायिकता को आगे रखकर विपक्ष जीवित तो रह सकता है किन्तु सत्ता में नहीं आ सकता।उसकी मजबूरी है कि वह हिन्दुओं में विभाजन करें जो वर्तमान समय में संभव नहीं दिखता। एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि भारत की वर्तमान सरकार मोदी और संघ रुपी दो भिन्न विचार धाराओं का तालमेल है। विपक्ष इन दोनों में से किसी एक को आगे बढाकर दोनों के बीच टकराव की स्थिति भी ला सकता है किन्तु उसके लिए भी उसे बहुत त्याग करना पडेगा। एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है कि विपक्ष अपनी सारी शक्ति सत्ता के विकेन्द्रीयकरण अर्थात ग्राम स्वराज्य पर लगा दें। स्वाभाविक है कि संघ और नरेन्द्र मोदी सत्ता के केन्द्रीयकरण के पक्षधर हैं। उस स्थिति में लोकस्वराज्य और तानाशाही के बीच सीधा टकराव हो सकता है किन्तु उसके साथ एक खतरा भी बना हुआ है कि यदि विपक्ष मजबूत भी हुआ तो नई व्यवस्था में उसे विकेन्द्रित सत्ता से ही संतोष करना पडेगा।

यह तो स्पष्ट है कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को आगे खडा करके मजबूत नहीं हो सकता, भले ही कमजोर होता चला जाये। शरद यादव भी कोई चमत्कार नहीं कर पायेंगे क्योंकि नीतिश कुमार के मोदी के साथ हो जाने तथा शिया धर्म गुरु के बयान के बाद मुसलमानों में भी टकराने की प्रवृत्ति में विभाजन निश्चित है। मुसलमानों में मोदी और विपक्ष के बीच विभाजन निश्चित दिखता है तो हिन्दुओं का धीरे धीरे मुसलमानों के विरुद्ध ध्रुवीकरण भी बढता हुआ दिखता है। साम्प्रदायिक मुसलमान टी बी पर बैठ कर उलजलुल बोलना बंद नहीं करेंगे तथा विपक्ष के नेता ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन करते रहेंगे। तो नरेन्द्र मोदी को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कोई और नया व्यक्ति सामने न आवे अथवा कोई नया तरीका सामने न आवे। विपक्ष एक जुट होकर अपने समापन को कुछ लम्बा तो खींच सकता है किन्तु रोक नहीं सकता।

रोहित बेमूला की आत्महत्या नाटककारों के लिए एक वरदान

रोहित बेमूला की आत्महत्या को कई महिने बीत चुके है किन्तु पक्ष विपक्ष की चर्चा आज भी जारी है। 2—3 प्रश्न विचारणीय होते हैं—1 क्या कोई मनुष्य आदिवासी होने से विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। 2 क्या आत्महत्या बहुत गंभीर प्रकरण है। 3 क्या किसी व्यक्ति को संवैधानिक सुविधायें प्राप्त करना उसका मौलिक अधिकार है।

रोहित बेमूला ने सरकार द्वारा घोषित सुविधाये समय पर प्राप्त न होने से आत्महत्या कर ली। वह निम्न जाति का था इसलिए उसकी आत्महत्या बहुत विशेष मान ली गई तथा वह किसी कालेज का छात्र था इसलिए बहुत होनहार था। ऐसी बातें कहकर उस आत्महत्या को तिल का ताड बनाने का प्रयास किया गया। आन्दोलन

हुये,जुलूस निकले,पक्ष विपक्ष में बहसें हुई और अंत में सिद्ध कर दिया गया कि वह निम्न जाति का नहीं था। प्रश्न उठता है कि जिन लोगों ने तिल का ताड बनाया उन लोगों को कानून से क्या दण्ड मिला और समाज से उन्हें क्या प्रताडना मिली। ऐसे लोग तो फिर भी नये सिरे से किसी अन्य बेमूला की तलाश में रहेंगे कि वे तिल का ताड बनाकर अपने को साल छः महिने के लिए व्यस्त कर लें। न तो कालेज की छूट प्राप्त करना किसी व्यक्ति का विशेषाधिकार होता है, न ही छूट न मिलने से आत्महत्या उसकी मजबूरी होती है। सिद्ध हुआ कि वह निम्न जाति का नहीं था किन्तु यदि होता भी तो क्या उसे कोई विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिये। आज हजारों लोग रोहित बेमूला से भी कई गुना नीचे स्तर पर जीवन यापन कर रहे है और कई लोग तो आधे पेट भी सो रहे है। यहा तक कि मृतक रोहित के परिवार के कई लोग भी उसके जीवन स्तर से नीचे ही जी रहे होंगे किन्तु आत्महत्या नहीं कर रहे। अगर कोई राजा अपने राजपाट का कोई भाग लडाई में हार जाने के कारण आत्महत्या कर ले तो समाज के लिए उसकी आत्महत्या कितनी बडी समस्या मानी जायेगी। अभी अभी सम्पन्न नगर निगम के चुनाव में एक अध्यक्ष पद की महिला उम्मीदवार ने मात्र 30 वोट से हार जाने के कारण आत्महत्या कर ली। तो क्या वह कोई बडा विषय बन सकता है । अगर दस बीस रोहित बेमूला भी इसलिए आत्महत्या कर ले कि उनका स्वप्न पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए आन्दोलन क्यों और कैसे हो सकता है। मेरा विश्वास है कि देश में कुछ पारिवारिक लोग ऐसे अवसरों की तलाश में रहते है कि वे कुछ महिनों के लिए अपनी व्यस्तता का जुगाड कर लें। रोहित बेमूला की आत्महत्या भी दो पक्षों की अपने को व्यस्त रखने की कोशिश का ही एक भाग माना जाना चाहिये।

समीक्षा

हम सात दिनो से मिलावट पर चर्चा कर रहे है। आज शनिवार है और इस समीक्षा के बाद हम मंथन के अगले विषय लिव इन रिलेशन शिप और विवाह प्रणाली पर चर्चा शुरू कर देंगे। मिलावट मे कुछ महत्वपूर्ण बाते सामने आयीं।

1 धर्म ग्रन्थ या इतिहास मे मिलावट का हमारी संस्कृति पर बहुत गहरा दीर्घकालिक और घातक प्रभाव होता है। बाजार मे बिक रही वस्तुओ का तो घातक प्रभाव व्यक्तिगत स्तर तक सीमित होता है।

2 भारत के कानून मिलावट और मिश्रण को ठीक ठीक परिभाषित नही कर पाते है।

3 जो कुछ पुराना है वह पूरी तरह विश्वसनीय है और जो कुछ पुराना है वह पूरी तरह गलत है, ये दोनो धारणाएं उचित नहीं। सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम वर्तमान मे क्या उचित है और क्या अनुचित इसको परखने की आदत डाले।

4 हमे व्यक्तियों से प्रभावित न होकर विचारो से प्रभावित होना चाहिये। आशाराम बापू या राम रहीम जैसे नकली संत व्यक्ति के रूप मे हमे अधिक प्रभवित करते है और आम तौर पर हम स्वयं को भक्त भी मानते है। वर्तमान समय मे जब असली नकली के पहचान करने की कोई साफ व्यवस्था नही है तो हमे स्वयं ही पहचानने की आदत डालनी चाहिये। कभी भी किसी को अपना निर्णायक गुरू घोषित नही करना चाहिये। बल्कि देश काल परिस्थिति अनुसार हर मामले मे निर्णय करने का अपना विशेषाधिकार सुरक्षित रखना चाहिये।

5 मिलावट, जालसाजी, धोखा से कोई व्यवस्था हमे सुरक्षित रहने की गारंटी नही दे सकती। हमे तो स्वयं ही सतर्क रहने का प्रयास करना होगा।

6 हम विचार प्रचार से प्रभावित होने से बचे और विचार मंथन पर अधिक ध्यान दे। नकली या मिलावटी वस्तुए प्रचार का अधिक सहारा लेती है।

मै बाबा राम रहीम को अच्छी तरह जानता हूॅ । मेरे परिवार के भी कुछ सदस्य उनके अनन्य भक्त है। बाबा एक बहुत चालाक और प्रशिक्षित ठग सरीखा है। मै कई वर्षो से सोचता था कि बाबा राम रहीम सरीखे अपराधी का इतनी भौतिक सामाजिक प्रगति करना कुछ न कुछ ईश्वरीय अन्याय ही है। आशाराम के जेल जाने के बाद बाबा राम रहीम की निरंन्तर प्रगति मुझे खटकती थी। बाबा के पास धन, सत्ता, सेक्स और गंभीर अपराध कर्मियों का एक संतुलित समन्वय था जो इनका रक्षा कवच था।

मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि धन और सत्ता के आश्रमों से जुडने मे सेक्स व्यवसाय बहुत सहायक होता है। अनेक महिलाए यह जानने के बाद भी कि बाबा स्वयं सेक्सी है या सेक्स व्यवयासी है ऐसे बाबाओ के

साथ चिपटी रहती है तो अवश्य ही कुछ अन्य भी कारण हो सकते है। मेरे विचार मे यदि कोई ऐसा करता भी है तो वह तब तक हस्तक्षेप योग्य अपराध नही जब तक बलात्कार न हो । आशाराम या रामरहीम सैकडो युवा कन्याओ के साथ रंग रेलियां मनाते थे तो इसमे हमे या कानून को तब तक कोई आपत्ति नही होनी चाहिये जब तक बल प्रयोग न हो।

फिर भी मै रामरहीम के दंडित होने की प्रतीक्षा कर रहा था। यद्यपि यौन शोषण कोई आपराधिक कृत्य नही था किन्तु आश्रम पर हत्या, बल प्रयोग धूर्तता जैसे जो आरोप लगे थे वे ज्यादा गंभीर थे। मुझे विश्वास था कि ये आरोप सच हो सकते है। इसलिये मै प्रतिक्षा कर रहा था। बाबा को जो दंड मिला वह उचित है या कम ही है । मेरे विचार मे एक सही काम उसी तरह गलत तरीके से हुआ है जिस तरह आशाराम के साथ सम्पन्न हुआ । जिसे हत्या के आरोप मे जेल मे रहना चाहिये वह जेल मे तो है किन्तु यौन शोषण के आरोप मे।

मोदी पूर्व के राजनेता ऐसे स्थापित धूर्तो के साथ तालमेल बना कर रखते थे इसलिये ये वर्तमान सरकार भी रखे यह तर्क ठीक नही। राम रहीम जब तक दंड घोषित नही थे तब तक राजनैतिक स्वार्थ के कारण उनके साथ तालमेल रखना मजबूरी मानी जा सकती है। किन्तु कल जिस तरह दंड घोषणा के बाद हरियाणा सरकार ने बाबा से भक्ति दिखाई उसके कारण सरकार की बहुत बदनामी हुई है। हिन्दुत्व के नाम पर धूर्तो और अपराधियों के साथ सहानुभूति ठीक नही।

कल दिनभर रामरहीम के माध्यम से बलात्कार और व्यभिचार पर व्यापक विचार मंथन हुआ। अनेक मित्रों ने भाग लिया। कुछ मित्र इन दोनों को एक मानते रहे। कुछ तो राज्य, कानून और संविधान को समाज से भी उपर मानते रहे। राज्य ने यदि किसी कार्य को बलात्कार कह दिया तो हम आंख मूँद कर मान लें क्या? कुछ ने यह माना ही नहीं कि अधिकांश आश्रमों में व्यभिचार की प्रथा रही है। कुछ ने यह माना ही नहीं कि बाबाओं का बढता प्रभाव सामाजिक समस्या है और हम सब इसको न रोक पाने के दोषी हैं। आग और बारुद को एक जगह इकट्ठा होने देने से ब्लास्ट का खतरा बढेगा ही। ब्लास्ट के बाद फेसबुक या टी बी पर तीव्र आलोचना की प्रतिस्पर्धा में निकम्मे लोग आगे और बहुत आकामक होते हैं। विषय संवेदनशीन होते हुए भी चर्चा बहुत अच्छी रही।

हमें विचार करना चाहिये कि राज्य द्वारा बलात्कार या व्यभिचार संबंधी बनाये गये कानून ही समाज के लिये अंतिम होते है या राज्य के गलत कानूनों की समाज को समीक्षा करनी चाहिये । क्या आप संतुष्ट हैं कि राज्य के कानून ठीक है।

प्रश्नोत्तर

1) जगमाल सिंह विष्ठ टिहरी गढवाल उत्तरांचल

विचारः—आज से पंद्रह वर्ष पहले मुझे आपका अंक नियमित मिलता था। उसके बाद आज लघु पत्रिका का ‘‘ज्ञानतत्व‘‘ का तीसरा अंक मिला। आज कल निरूद्वेश्य बौद्धिक उत्पादन हो रहा है जिसमे सार्थक चिंतन का सर्वथा अभाव है। आर्थिक विषमता पर इस अंक मे एक सार्थक सोददेश्य पूर्ण लेख पढने को मिला। भरत झुनझुनवाला, डोगरा जी, हृदयनाथ दीक्षित के कम मे आप एक सुलझे हुए चिंतक है । समाज की मूलभत समस्याओ के स्वरूप की पहचान करना आवश्यक है तभी सुन्दर समाज की रचना हो सकती है। आर्थिक विषमता की चर्चा न तो अखबार मे होती है न इलेक्टानिक मीडिया मे। न कोई राजनैतिक जन आंदोलन ही चलता है । आर्थिक विषमता का आलम बहुत विचित्र है। 20 करोड लोग 20 रूपया प्रतिदिन की आय पर जिंदा रहने के लिये अभिशप्त है। इनको गरीब नही माना जाता। अभी तक गरीबी रेखा की परिभाषा सुनिश्चित नहीं हो सकी। केन्द्र सरकार के सचिव का वेतन पौने दो लाख के आसपास है। असंगठित क्षेत्र के मजदूर को सात हजार के आस पास मिलता है। रिजर्व बैंक गर्वनर उर्जित पटेल केा डेढलाख के आसपास मिलता है जबकि अरूधत्ति भटटाचार्य एंव चंद्रा कोचर सी ई ओ को उनसे कई गुना ज्यादा वेतन मिलता है। कृषि मजदूर की आय सबसे कम है। श्रम शोषण की अजीब दास्तान है। आजकल के अर्थ शास्त्रि की **inivesel benison** की योजना की चर्चा कर रहे हैं यदि सभी बेतुकी कल्याणकारी योजनाओ व अन्धी सब्सीडी को बंद कर दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति को दस रूपया मासिक पेंशन दी जा सकती है। कल्याणकारी योजना के कार्यान्वयन मे भारी धांधली होती है। सच्चे लाभार्थी वंचित रह जाते है। राजनैतिक पार्टियां चुनाव मे मुफ्त लैपटाप बांटने वाली स्कीमो से समाज को कोई फायदा नही होता।

सामाजिक अशांन्ति मे आर्थिक विषमता भी एक कारण है। राजसत्ता व नौकरशाही ही सबसे अधिक बाधा है। बुद्धिजीवियों का मतैक्य एवं जन आन्दोलनो के दबाव मे यह कार्य हो सकता है। जीवन समस्याग्रस्त है। अनेक ज्वलंत समस्याये है जिनका हल खोजना है। आपके विचारोत्तेजक चिंतन मे लिपटा अगला अंक मिलेगा।

उत्तर– यदि बेतुकी कल्याणकारी योजनाओं पर सब्सीडी पूरी तरह बंद कर दी जाय तो प्रत्येक व्यक्ति को दस रूपये मासिक नही सौ रूपये मासिक की नगद राशि दी जा सकती है और यह राशि गरीब अर्थात तीस रूपया प्रतिदिन से कम कमा रहे बीस करोड लोगो को ही दी जाये तो प्रति व्यक्ति पांच सौ रूपये मासिक हो सकती है। किन्तु चुकि भारत की अर्थ व्यवस्था पर बुद्धिजीवियों का और पूंजीपतियों का एकाधिकार है और ऐसे ही लोगो ने राजनैतिक व्यवस्था पर भी कब्जाकर रखा है इसलिये आज गरीब और अमीर के बीच इतनी अधिक असमानता है। गरीब ग्रामीण श्रमजीवी किसान के उत्पादन और उपयोग की वस्तुओ पर कर लगाया जाता है जबकि कृत्रिम उर्जा पर किसी भी प्रकार की मूल्य वृद्धि का विरोध किया जाता है। यह एक प्रकार का षणयंत्र है। इसकी सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिये।

2 कुलदीप नैय्यर प्रसिद्ध विचारक और लेखक

प्रश्नः–कोर्ट का फैसला कठोर और स्पष्ट है। भारतीय संविधान की बुनियादी बातों से कोई समझौता नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूॅ कि मुस्लिम समुदाय ने तीन तलाक पर पाबंदी को स्वीकार कर लिया होता लेकिन ऐसा लगता है मानो कटटरपंथी जैसा चाहते थे वही होता रहा।

मुस्लिम महिला शाहबानों के मामले में भी यही था, जहॉ सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया तथा एक लंबी कानूनी लडाई के बाद 1985 में निर्वाह खर्च तय किया। मुसलमानों ने फैसले को कबूल नहीं किया और दलील दी कि कोर्ट पर्सनल कानून से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप के लिए स्वतंत्र नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार तलाकशुदा औरतों को परवरिश खर्च और मेहर के जरिए मदद देने को व्यवस्था शरीयत के तहत होती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना तथा परवरिश की राशि तय कर दी।

सैकुलर समाज में तीन तलाक के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तथा बंगलादेश समेत दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इस पर पाबंदी लगा दी है लेकिन भारत में ऐसी स्थिति है कि इस पर बहस भी नहीं हो सकती है। दिखाने के लिए होने वाली बहस को भी हस्तक्षेप कहकर खारिज कर दिया जाता है। तीन तलाक का इस्तेमाल जारी है और मर्दो का बोलबाला कम नहीं हुआ।

इसके विपरीत भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु के हस्तक्षेप से हिन्दू पर्सनल कानून अस्तित्व में आया । उन्होनें पहली बार हिन्दू धर्म में तलाक की शुरुआत की। संविधान सभा के अध्यक्ष और अत्यंत सम्मानित डॉ राजेन्द्र प्रसाद की ओर से नेहरु का तीब्र विरोध हुआ। नेहरु की ही चली क्योंकि सरकारी मशीनरी पर उनका नियंत्रण था।

मुसलमानों ने भी दशकों से इस चुनौती का सामना किया है। तीन तलाक को कुरान की स्वीकृति नहीं है लेकिन यह लंबे समय से टिका हुआ है। कुछ मुस्लिम औरतों ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बारे में लैंगिक समानता पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार ने इस बारे में सहमति ढूंढने के लिए प्रश्नावली जारी करने की सोची थी लेकिन इसे जारी करने से परहेज किया।

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका जोरदार विरोध किया। संयोग से इसमें कोई महिला सदस्य नहीं है लेकिन औरतों की सलाह लिए बगैर यह अपनी शर्ते थोपता रहता हैं। औरतें खुद इसका विरोध करती रही है लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसी नीति पर चलता है जिसमें औरतों की राय तक नहीं ली जाती है और इसलिए कटटरपंथियों का निर्देश चलना जारी है।

इस सवाल का किसी दिन संसद के सामने आना तय है क्योंकि परिस्थति को लेकर मुस्लिम समुदाय के अलग अलग वर्ग और दूसरे लोग भी उत्तेजित हैं। ज्यादातर मुस्लिम औरतों की ओर से सामाजिक बहिष्कार है। दूसरी ओर मुस्लिम मर्दो का बोलबाला जारी है, इसके बावजूद कि वे मानते है कि पैगंबर मर्द और औरत के साथ

समान बर्ताव चाहते थे। लेकिन जब इस विचार को कानून में दर्ज करने की बात आती है तो बोर्ड इसकी परवाह नहीं करता।

कोई भी बहस कैसे हो सकती है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों की राय जानने वाली प्रश्नावली का सीधे सीधे विरोधी हो? देश के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने प्रदर्शन किए और मांग की कि उनकी राय ली जाये। नरेन्द्र मोदी सरकार कोई कदम उठाने से हिचकिचा रही है कि उसे गलत नहीं समझा जाये। चीजों को उस बिन्दु पर छोडा नहीं जा सकता है।

संसद को आगे आना चाहिए और पहले दोनों सदनों में इस मुददें पर बहस करनी चाहिए कि समुदाय,खासकर इनकी औरतें इस सवाल पर क्या महसूस करती है? जाहिर है, चुनावी वजहों से राजनीतिक पार्टिया खामोशी अख्तियार करना चाहती हैं। 80 सींटों वाले सबसे बडें हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य हैं जहॉ मुस्लिम समुदाय इस स्थिति में दिखाई देता है कि तय करें कि सत्ता में कौन रहे।

उदाहरण के तौर पर, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोट जुटाने में सक्षम थे क्योंकि समुदाय कांग्रेस से अलगाव महसूस कर रहा था।हाल के चुनावों में सत्ता विरोधी लहर का असर हुआ और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस समय के कैबिनेट मंत्री आजम खान,जिन्हें मुसलमानों के संरक्षक के रुप में पेश किया गया, के होते हुए भी पराजित कर दिया गया।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जिनका भाषण बिना सोचे विचारे होता है, मुसलमानों को अपनी ओर करना चाहते है लेकिन आमतौर पर वह लोगों के बीच स्वीकार्य नहीं है और शायद यह बेहतर होगा कि सोनिया गांधी खुद ही पार्टी का नेतृत्व करें। अब उन पर इटालियन होने का लेबल नहीं रह गया है । वह अपने नाम पर बेटे के मुकाबले ज्यादा भीड आकर्षित करती है। यह कांग्रेस के लिए चुनौती है जिसने राहुल गांधी पर अपना दाव लगा दिया है लेकिन धीरे धीरे मान रही है कि वह लोगों के बीच स्वीकार्य नहीं हो पा रहे है। वास्तव में उनके मुकाबले उनकी बहन प्रियंका गांधी की ज्यादा लोकप्रिय छवि है।

यह शर्म की बात है कि एक सैकुलर लोकतांत्रिक देश तीन तलाक जैसी प्रथा के साथ रह रहा है सिर्फ किसी समुदाय की नाराजगी के भय के कारण प्रधानमंत्री ने मुस्लिम विधवाओं की पैंशन के लिए कानून बनाकर घपला किया। इसने बेबजह बाबरी मस्जिद आंदोलन को हवा दी और पी वी नरसिम्हा राव सरकार में मस्जिद ध्वस्त कर दी गई। बाकी तो इतिहास है।

इसी तरह तीन तलाक को जारी नहीं रखा जा सकता है क्योंकि यह संविधान की भावना के खिलाफ है। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि संविधान में नीति निदेशक तत्वों में समान नागरिक कानून की बात रहने के बाद भी यह इतने लंबे समय तक रह गया। आजादी के बाद की विभिन्न सरकारों ने इस सवाल को टाला। मोदी सरकार भी यह कर सकती है लेकिन यह हल नहीं है। देर सबेर तीन तलाक को जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि इस बारे मे संविधान की व्याख्या किस तरह की जानी चाहिए।

कटटरपंथियों की ओर से मुस्लिम समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। दुर्भाग्य से इसमें राजनीति भी घुस गई है । भारतीय जनता पार्टी की नजर 2019 के चुनावों पर है। अनेकता का माहौल इससे बिगडना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या यूं कहिये कि किसी भी अदालत के लिए हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होगा अगर संविधान की प्रस्तावना का पालन होता है जो सैकुलर और लोकतांत्रिक शासन है।

उत्तरः—यद्यपि आप आंशिक रुप से अल्पसंख्यको तथा वामपंथ की ओर झुके हुये माने जाते है। किन्तु आप अपनी तटस्थता की सीमा का कभी उल्लंघन नहीं करते। यही कारण है कि मैं आपको अवश्य पढता हूॅ। इस लेख में भी आपने इस्लाम को उचित सलाह देकर तटस्थता प्रदर्शित की है। मेरे विचार से आप हिन्दू मुसलमान के बीच तो तटस्थ रहे किन्तु आप व्यक्ति और धार्मिक संगठनों के बीच तटस्थ नहीं रह सके। कोई भी धार्मिक संगठन किसी व्यक्ति की सहमति तक ही उस पर अपने नियम कानून थोप सकता है लेकिन यदि कोई व्यक्ति नियम कानूनों को स्वीकार न करे तो आप एकक्षण भी उसे कोई नियम कानून मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर तब तक कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक उसने किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन न किया हो। कोई व्यक्ति यदि किसी देश का नागरिक है तो उसके व्यक्तिगत अधिकार उसकी सहमति के बिना नागरिकता में विलीन नहीं हो सकते। इसी तरह उसकी सहमति के बिना कोई धर्म भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विलीन नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति जिस क्षण अपना विवाह तोड देता है उसे उसके बाद

एक सेकेंड भी साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। भले ही समाज उसे बहिष्कृत करके उसे मजबूर करें। एक बार बोला गया तलाक ही संबंध विच्छेद का पर्याप्त आधार है। मुसलमानों ने यदि एक को बढाकर तीन कर दिया तो इसमें गलत क्या है। कोई महिला या पुरुष कभी भी संबंध तोड सकता है। उसके बाद एग्रीमेंट या विवाह के समय दिये गये वचन पर समाज और कानून विचार कर सकता है किन्तु उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। नेहरु अम्बेडकर सरीखे लोगों को समाजशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था। इसलिए उन्होनें अनेक प्रकार के धार्मिक कानूनों को मान्यता दे दी। हिन्दू कोड बिल सरीखे कलंकित और स्वतंत्रता विरोधी कानून को अब तक हम अपने छाती पर लाद कर बैठे हुये है। आश्चर्य है कि आप उस कानून के प्रशंसक है तथा उसी तरह का कोई कानून मुसलमानों पर भी थोपना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हिन्दू है या मुसलमान यह उसकी सहमति पर निर्भर करता है । उससे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी नहीं छीनी जा सकती। मुझे उम्मीद है कि आप व्यक्तिगत स्वतंत्रता को धार्मिक राजनैतिक गुलामी में समेटने के विरुद्ध भी कुछ सोचना शुरु करेंगे।

3 कैलाश आदमी, साप्ताहिक निर्दलीय से

विचारः—तदनंतर ग्राम स्तर से लोक प्रदेश स्तर तक की कार्यवाही को अमलीजामा प्रदान करने हेतु ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान के साथ ही प्रमुख विद्वानों की छाया संविधान सभा बनाई जाकर वर्ष 2024 तक छाया संविधान निर्मित कर उसे व्यावहारिक रुप दिलाने हेतु सार्थक प्रयास किये जायेंगे और सफलता न मिलने पर आंदोलन भी किया जायेगा।

उक्त सम्मेलन की बैठक दिल्ली के निकटतम जिला गाजियाबाद के वसुंधरा क्षेत्र स्थित मेवाड विश्व विद्यालय परिसर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र दिल्ली के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसे योजना बैठक की संज्ञा दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकथा विशेषज्ञ तथा मथुरा स्थित आश्रम के प्रमुख श्री विजय कौशल महाराज थे। मंचासीन विशेष अतिथियों में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री अशोक गादिया, संविधानविद श्री गोंविद गोयल, राज्यसभा सदस्य श्री वसबराज पाटिल और लोकसभा सदस्य श्री कमलभान सिंह मराबी मंचासीन थे।

आरंभ में विषय प्रवेश करते हुये श्री बजरंग मुनि ने कहा कि गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कहा था कि स्वाधीन भारत के लोकतंत्र का स्वरुप लोक नियंत्रित तंत्र होगा किन्तु पं0 नेहरु और डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के जरिये इसे लोक नियुक्त तंत्र का स्वरुप दे दिया जिसका दुरुपयोग करते हुए इसे श्रीमती इंदिरा गांधी के राज में तानाशाही तंत्र में बदल दिया गया। तब इंदिरा जी जो कुछ कहती थी उसे ही लोकतंत्र की संज्ञा दे दी जाती थी जबकि वर्ष 2014 से श्री नरेन्द्र मोदी जो कहें वही लोकतंत्र कहा जाने लगा है।

उन्होनें बताया कि वर्ष 2020 में हम देश के 2400 विचारकों का एक माह का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेंगे तथा 2020 तक ही हम छाया संविधान सभा बना लेंगे जिसमें 543 सदस्य होंगे। यही सभा छाया संविधान बनायेंगी। वैसे संविधान निर्माण में विधि के जानकार विद्वानों की भूमिका रहेगी जिनका चयन लोक प्रदेश आयोजन समिति करेगी। उन्होनें आशा व्यक्त की कि 2024 तक संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन में सफल होंगे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री विजय कौशल जी महराज ने कहा कि श्री बजरंग मुनि कहते थे कि वे शायद ही समग्र व्यवस्था परिवर्तन देख पायें लेकिन मेरा विश्वास है कि यह कार्य उन्हीं के जीते जी संपन्न हो जायेगा। श्री कौशल ने कहा कि संसद सदस्यों को सारी सुविधाए मिले किन्तु उन्हें वेतन नहीं दिया जाना चाहिए।

श्री कौशल जी ने कहा कि वर्तमान समाज में जो अनाचार अत्याचार हो रहा है उससे संविधान की विफलता प्रकट होती है अतएव इसमें संशोधन होना ही चाहिए। अंत में कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राय ने भी कहा कि बाजपेयी सरकार के समय संविधान समीक्षा की गई लेकिन सरकार ने समीक्षकों से कह दिया कि वे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन के सुझाव नहीं दे सकेंगे। श्री राय ने कहा कि वे इस पक्ष में है कि संविधान के मूल ढांचे सहित समग्र समीक्षा होना चाहिए।

गाजियाबाद के कौशाम्बी व वसुन्धरा में हुई बैठकों में सर्वश्री अरुण उपाध्याय, नवीन कुमार शर्मा,जे पी सिंह, पालेराम के वीरास्वामी ,करीम भाई, संजय ताती, उषा, जयभगवासार, गीतादास, धर्मेन्द्र राजपूत , राजेन्द्र प्रसाद, विनोद भाई, सुरेश सर्वोदयी, ऋषि द्विवेदी, ओमप्रकाश दुबे, ऋषिपाल यादव, एम एच पाटिल, कृष्णलाल रुंगटा, सुमेरसिंह, चतुरसिंह ठाकुर, अशोक रोहेला, सोमदत्त दीक्षित, नरेन्द्र चौधरी, रमेश राघव, दलबीर सिंह, जुनेद रसूल,और लोकसभा टी बी चैनल के श्री रामवीर सिंह ने विशेष रुप से सक्रिय सहभागिता दिखाई।

संविधान में मूलभूत परिवर्तन जरुरी

मूलतः स्वामी दयानंद के आर्य समाज आंदोलन से प्रभावित छ.ग. निवासी श्री बजरंगलाल अग्रवाल जिन्होने सामाजिक जनजागृति के खातिर तत्कालीन जनता पार्टी से इस्तीफा देकर सामाजिक व राजनीतिक समस्याओं पर 14 वर्षो तक एकान्त में गहन चिंतन करने के बाद अपने गृह स्थान रामानुजगंज लौटकर ज्ञान यज्ञ मंडल की स्थापना की और वर्ष 1994 में राष्ट्रीय विचारक सम्मेलन आयोजित किया तब उसमें मुझे भी सर्वोदय विचारक के नाते आमंत्रित किया गया था। इस सम्मेलन में सर्वोदय के राष्ट्रीय नेता श्री ठाकुरदास बंग, स्वामी गंगानंद,रामकिशोर सिंह, कैलाश साहू, डॉ रामचन्द्र दुबे, ओमप्रकाश भाटिया, बी आर धर्मेन्द्र, डॉ प्रसाद निष्काम, स्वामी गिरधर योगेश्वर, डॉ गुरुशरण, प्रेमभाई, अर्पित अनाम, अनमोल सोनी, मदनमोहन व्यास, रुद्रभान, दुर्गा प्रसाद आर्य, प्रकाश सचेत, उदयप्रताप सिंह,व मुरारीलाल अग्रवाल आदि प्रमुख विद्वान सम्मिलित हुए। उक्त सम्मेलन के संयोजक श्री बजरंगलाल जो बाद में बजरंग मुनि हो गये के प्रमुख सलाहकारों में सर्वोदय विचारक श्री आर एन सिंह थे। उस समय मैंने सम्मेलन में पत्रकार की भूमिका निभाते 1986 में गठित ज्ञान यज्ञ मंडल और 1991 में गठित स्थानीय नागरिक महासंघ के कियाकलापों का अध्ययन करते हुए एक रपट भी तैयार की थी जो साप्ताहिक निर्दलीय के सोलह अक्टूबर 1994अंक में प्रकाशित हुई। इस रपट के माध्यम से मैंने पाठकों को यह जानकारी देने का प्रयास किया था कि ज्ञान यज्ञ मंडल और नागरिक महासंघ के सदस्य मिलकर रामानुजगंज एवं आसपास के गांवों में किस प्रकार अपराध नियंत्रण एवं सामाजिक जागृति का प्रयास कर रहे है। उस समय इन संस्थाओं का प्रभाव रामानुजगंज एवं आसपास के 13 गांवों में से 6 गांव में दिखाई दिया। यह भी प्रगट हुआ कि सभी गांवों के निवासी शासन की उपेक्षा के कारण शोषण व भ्रष्टाचार से परेशान है। गांवो में विकसित नये नेतृत्व की परिपक्वता और ग्रामीणों की एकजुटता का अभाव खल रहा है। बेरोजगारी श्रमिक शक्ति की उपेक्षा एवं श्रम मूल्य का सही आंकलन न होने के साथ ही सभी गांवों में सडक, बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल और अशिक्षा का संकट विद्यमान है तथा ग्रामीण मद्यपान एवं उसके दुष्परिणामों के शिकार है। उस समय अधिकांश ग्रामों तक श्री बजरंगलाल की ख्याति नहीं पहुंची थी लेकिन कालान्तर में उन्होंने ग्रामीण विकास और रामानुजगंज के विकास हेतु जो काम किये उससे निः संदेह उनकी कीर्ति न केवल छ.ग. बल्कि पूरे म.प्र. तक फैल गई और विचारक सम्मेलन के बाद उनकी पहचान अन्य राज्यों में भी बनने लगी। रामानुजगंज के लोगों ने बजरंगलाल जी को नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना ताकि वे क्षेत्र को लोकस्वराज्य की दिशा में प्रवृत्त कर सके। उन्हें नागरिकों ने व्यवस्था परिवर्तन अभियान को सफल बनाने हेतु भ्रष्टाचार पर नियंत्रण का अधिकार दिया। श्री बजरंगलाल ने यह नियम बनाया कि रामानुजगंज का कोई भी अधिकारी व कर्मचारी दस प्रतिशत से अधिक रिश्वत नहीं लेगा। उनके इस नियम की तीखी आलोचना हुई लेकिन श्री बजरंगलाल का कहना था कि प्रदेश में 24 प्रतिशत रिश्वत खुलेआम लेते है अतएव उन्होनें दस प्रतिशत रिश्वत लेने की छूट देकर कोई गलत काम नहीं किया है। बजरंगलाल ने सर्वोदय विचार से प्रभावित होकर समाज में व्यवस्था परिवर्तन के अनेक प्रयास किये किन्तु उनके कुछ विचारों से मेरी असहमति रही। इसके बावजूद श्री बजरंगलाल जी मेरी गणना अपने शुभचिंतकों में करते रहे और आज भी करते है। यह उनकी सहिष्णुता का एक बडा प्रमाण है किन्तु उनमें एक सबसे बडी कमी यह भी है कि वे अपनी ज्यादा आलोचना सहन नहीं कर पाते। इसी कारण श्री रोशनलाल अग्रवाल ,श्री भरत गांधी व आचार्य अखिलेश आयेंन्दु जैसे कई अर्थशास्त्री एवं समाज चिंतक उनसे दूर होते चले गये। जहॉ तक श्री बजरंगलाल के विचारों से मेरी असहमति का सवाल है मेरा यह दृढ मत रहा कि भ्रष्टाचार के मामले में श्री बजरंगलाल को समझौता नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही श्री बजरंगलाल फांसी की सजा को अमानवीय मानने के लिये तैयार नहीं होते, वे यह भी कहते है कि देश में महंगाई नहीं है और महिलाओं पर भी अत्याचार नहीं होते। मेरा इन्हीं मुददों पर उनसे मतभेद रहा और आज तक बना हुआ है। इसके बावजूद मैं वर्ष 2006 में उनके आमंत्रण पर नई दिल्ली गया तथा गांधीवादी विचारक श्री आर्यभूषण भारद्वाज के साथ मिलकर श्री बजरंगलाल द्वारा शुरु किये गये अभियान में लंबे समय तक हाथ बंटाया। इस कार्य हेतु मैंने देशाटन किया और समग्र व्यवस्था परिवर्तन का विचार पूरे देश में फैलाने का विनम्र प्रयास किया। इस अवधि में दिल्ली के राजेन्द्र नगर में राष्ट्रीय सम्मेलन भी आहूत किया गया जिसे सफल बनाने हेतु मैंने श्री पुष्पेन्द्र सिंह चौहान, श्री वेदप्रकाश शर्मा,अनीस भाई, श्री वेदप्रताप वैदिक व श्री प्रभाष जोशी आदि विद्वानों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त किया। जब श्री बजरंगलाल ने व्यवस्था परिवर्तन अभियान से श्री गोविंदाचार्य को जोडा तब मेरी असहमति रही।

मेरा कहना था कि श्री गोविन्दाचार्य इस अभियान में लंबे समय तक साथ चलने वाले नहीं है। श्री बजरंगलाल जी नहीं माने तो भी मैं उनके साथ श्री गोविन्दाचार्य से निरंतर संपर्क में रहा किन्तु अंततोगत्वा वहीं हुआ और श्री गोविन्दाचार्य अभियान को बीच में ही छोड गये। विगत 5 वर्ष पूर्व नोयडा में व्यवस्था परिवर्तन सम्मेलन में मैंने हिस्सेदारी की थी उसके बाद हाल ही कौशाम्बी और वसुन्धरा में हुए सम्मेलन में मैंने हिस्सेदारी की। इस अंतराल के लिये मुझे गांधीवादी कार्यकर्ता श्री ओमप्रकाश दुबे ने टोका भी लेकिन मैंने यह कहकर उन्हें शांत किया कि दैनिक निर्दलीय के प्रकाशन के कारण मुझे अब उतना समय नहीं मिल पाता जितना पहले दे पाता था । फिर भी दुबे जी और श्री बजरंग मुनि के आग्रह पर मैंने अभियान की मासिक बैठकों में सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी क्योंकि मुझे लगता कि श्री मुनि ने जिस काम का बीडा उठाया है वह सही है । कुछ मुददों पर असहमति के चलते मुझे लगता है कि संविधान संशोधन के काम में मुझे हाथ बंटाना ही चाहिये क्योंकि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन समय की आवश्यकता और मांग है।

उत्तरः— यह सच है कि कैलाश आदमी जी पिछले 25 वर्षो से अब तक निरंतर हमारे पूरे विचार विमर्श में सम्मिलित रहे। साथ ही यह भी सच है कि जो बात उन्हें उचित नहीं लगी उसका उन्होनें खुलकर विरोध किया। यहा तक कि कई बार उग्र विवाद भी होता रहा है । इतना होने के बाद भी वे और मैं हमेशा विचार मंथन में एकसाथ बैठते रहे। कई बार मैं उनके भोपाल कार्यक्रम में भी जाता रहा हॅू। कह नहीं सकता कि अपने विचारों में मैं कितना सही हॅू और कैलाश जी कितने सही है किन्तु एक बात में हम दोनों एकमत है कि हम दोनों की नीयत साफ है और दोनों ही गांधी को एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मानते है। यह सच है कि मैंने नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुये किसी भी प्रकार के नगरपालिका के कार्य में 10 प्रतिशत घूस लेकर उसे नागरिकों के फंड में जमा कराना शुरु किया था। यह राशि पुरे शहर द्वारा बनाई नई व्यवस्था के अतर्गत ही जमा होती थी और वही से खर्च होती थी । सारा हिसाब पारदर्शी था। मेरी इस व्यवस्था का सर्वोदय के एक समूह ने विरोध किया था जिसमें कैलाश जी भी शामिल थे किन्तु वह व्यवस्था पूरे 5 वर्ष चलती रही।क्योंकि मेरा यह मानना था कि नगर की जनता मालिक है और सरकार प्रबंधक। यदि सरकार ने किसी दबाव में अपने नियम कानून थोप दिये है तो हम उस गुलामी से बच भी सकते है। मेरा लोटा अगर कोई लुटेरा सेना और पुलिस के बल पर लूट कर ले जाये और मैं अपना लोटा चुरा कर लुटेरे के घर से ले आउ तो गांधीवादी मुझे चोर समझेंगे और मैं अपने को समझदार समझॅूगा। यदि मैं चोरी में पकडा जाउंगा तो मैं दण्ड भुगतुंगा किन्तु मुझे समाज के समक्ष सर उंचा करके चलने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण है कि मैंने 5 वर्ष तक खुलेआम प्रस्ताव पारित करके घूस का प्रावधान चलाया और सरकार कुछ नहीं कर सकी। साथ ही आज इन सबके बाद भी समाज में मेरी प्रतिष्ठा कई गुना अधिक बढी है।

मैं यह कहना चाहता हॅू कि कैलाश आदमी जी ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व है जिन्होनें मेरी सोच को रगड रगड कर धार दी है। हम लोगों का आज भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता जिसमें कैलाश आदमी जी को न बुलाया जाये और वे मेरी बात को न काटे। मुझे विश्वास है कि आदमी जी के साथ रहते मैं कोई गंभीर गलती नहीं कर पाउंगा जो हमारे अभियान के लिए बहुत उपयोगी होगा।